

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 39 तारीख दायर 10/08/2020 दिनांक निर्णय 09/09/2020

उनवान

रिपोर्ट पटवारी दुम्का हुल्ली बनाम मजेन्द्र सिंह

आव पत्रावली मु.—नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

रकबा नैस्तायत बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207.7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

क्या खोदता है कि—

नैस्तायत श्री मजेन्द्र सिंह पुत्र/पत्नी बजरंग सिंह

जाति भारी (राजपूत) निवासी अनावड़ा

को अरावी खसरा नं. 652 रकबा 0.005 किस्म सिवाग्रचक वाके ग्राम.

अनावड़ा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.01 की.


50 गुणा में मु. 1.00 रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल नितानी हेतु निरदार/कानुनगो को लिखा जावें।

स. ते. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 25 पर सि.च. व. 01/-  
राशि कायम किये गये।

पि.ब.ब.  
त. रा. लेखाकार

  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)